भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–01/2016–17

वाद का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्री अरबिन्द कुमार सिंह, पिता–स्व0 चन्द्र केश्वर प्रसाद सिंह ... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, घाटशिला ....विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
20.01.17	यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक श्री अरबिन्द कुमार सिंह, पिता–स्व0 चन्द्र केश्वर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम–क्वाटर नं0–QF/LF, Old Cable Town, Main Road, P.O. & P.S Golmuri, Town Jamshedpur, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–238/2015–16 में दिनांक–29/07/2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। आवेदक द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–238/2015–16 प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Sale of deed No.5621, दिनांक–15.12.2014, खतियान की छायाप्रति, नामान्तरण मुकदमा संख्या–120/2004–05 की शुद्धि पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने आवेदन द्वारा सूचित किया हैं कि मौजा–नरसिंहपुर, थाना नं0–1125, खाता नं0–25, प्लॉट नं0–1332, एवं 1219 रकवा क्रमशः–3.78 ए0 एवं 0.50 ए0 कुल रकवा–4.28 एकड़ भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, घाटशिला के समक्ष आवेदन किया था, जिसे अंचल अधिकारी, घाटशिला ने अपने आदेश दिनांक–29/07/2015 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं।	

अंचल अधिकारी, घाटशिला ने अपने पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट 1964 के खतियान के अनुसार कमला देवी, पिता–मोतीलील सरकार के नाम से दर्ज हैं। आवेदित भूमि पूर्व के पंजी–II रैयत (जमाबंदी रैयत) मोहन सरकार के नाम से नामान्तरण मुकदमा संख्या–120/2004–05 तथा 121/2004–05 द्वारा नामान्तरण किया जा चुका हैं तथा लगान रसीद वर्ष–2011–12 तक अद्यतन हैं। उक्त खाता की भूमि सरकारी गैरमजरुआ आम खास से मुक्त हैं तथा भूमि रैयती खाते की हैं। अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि में से खाता नं0–25, प्लॉट नं0–1332, रकवा–3.78 एकड़ के कैफियत कलॉम में बलात् दखल फतो माझी, पिता–लुबु माझी दर्ज हैं। जाति संथाल (अनुसूचित जनजाति), निवासी निज ग्राम, दखल वर्ष–1955 अंकित हैं। उक्त कारणों से अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया हैं। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह भी उल्लेख है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 के तहत किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही नामान्तरण किया जा सकता हैं।

अपीलकर्त्ता का कहना हैं कि आवेदित जमीन Sale of deed No.5621, दिनांक–15.12.2014, के माध्यम से क्रय किया गया हैं। उक्त भूमि का नामान्तरण पूर्व में मोहन सरकार के नाम से नामान्तरण मुकदमा संख्या–120/2004–05 एवं 121/2004–05 द्वारा किया गया हैं। उन्होंने उक्त जमीन Sale of deed No.1440, दिनांक–14.06.2004 एवं Sale of deed No.1441, दिनांक–14.06.2004 के माध्यम से कमला देवी से खरीदा हुआ जमीन हैं। आवेदित भूमि अपीलकर्त्ता द्वारा क्रय किया गया हैं तथा उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल में हैं। अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा बिना जाँच–पड़ताल तथा कागजात देखें बिना ही वाद पर आदेश पारित किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, द्वारा पारित नामान्तरण वाद में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन को देखा। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। जाँच प्रतिवेदन को देखने से पाया कि आवेदित भूमि

मौजा–नरसिंहपुर, थाना नं0–1125, खाता नं0–25, प्लॉट नं0– 1219, रकवा–0.50 ए0 तथा प्लॉट नं0–1332, रकवा–3.78 ए0 कुल रकवा–4.28 एकड़ भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट 1964 के अनुसार कमला देवी, पिता–मोतीलाल सरकार के नाम से खतियान में दर्ज हैं। बिक्री केवाला के माध्यम से क्रेता अरबिन्द कुमार सिंह, पिता–स्व0 चन्द्र केश्वर प्रसाद सिंह द्वारा क्रय किया गया हैं। आवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत गैर आदिवासी हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि फतो मांझी, पिता–लुबु मांझी अथवा उनके वंशज के न्यायालय में किसी भी बयान व हाजिरी के बिना प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण नहीं किया जा सकता हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित आदेश नामान्तरण मुकदमा संख्या–238/2015–16 को अस्वीकृत किया गया हैं जो यथोचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त नामान्तरण वाद संख्या–238/2015–16 को मूल रुप में वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि पुनः इस संबंध में गहन जाँच–पड़ताल करने के पश्चात निर्धारित नामान्तरण नियमावली के अनुरुप वाद में आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

20.01.17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

20.01.17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।